>

Title : Need to set up a separate Ministry for the welfare and development of backward classes in the country.

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल हेतु निम्न विषय पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति प्रदान की, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। देश में 52 प्रतिशत पिछड़े वर्ग की आबादी है। पिछड़े वर्ग के विकास संबंधी कार्यों को करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में 15 आदमियों का एक ही यूनिट काम कर रहा है। इन 15 आदमियों से देश के पिछड़े समाज का विकास होना असंभव है। देश में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय काम कर रहा है। एसटी के विकास के लिए जनजाति मामले संबंधी मंत्रालय काम कर रहा है एवं एससी के लिए सामाजिक न्याय एवं आधिकाता मंत्रालय में एक बड़ा तंत्र है। पिछड़े वर्ग के विकास के लिए जो भी कार्य हो रहे हैं, वे अपूर्ण हो रहे हैं। उनके विकास के लिए संसद द्वारा बने कानूनों का भी पालन नहीं हो पा रहा है। हमारी मांग है कि पिछड़े वर्ग के विकास के लिए पिछड़ा वर्ग कार्य संबंधी एक मंत्रालय का गठन किया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं।